भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्याः 35
उत्तर देने की तारीखः 04.02.2025

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत राशि

***35. श्री एम.के. राघवन:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफओबीसी) योजना के तहत अध्येतावृत्ति की राशि जारी करने में होने वाले किसी विलंब का संज्ञान लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत राशि के संबंध में श्री एम.के. राघवन द्वारा दिनांक 04.02.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 35 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ख): यूजीसी ने अक्टूबर 2023 में जेआरएफ स्कॉलरों को दी जाने वाली फेलोशिप को 31,000/- रुपये से बढ़ाकर 37,000/- रुपये प्रति माह करने और एसआरएफ स्कॉलरों को दी जाने वाली फेलोशिप को 35,000/- रुपये से बढ़ाकर 42,000/- रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया था। यूजीसी ने बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी, 2023 से लागू कर दी हैं। विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफ-ओबीसी) योजना के अंतर्गत चयनित ओबीसी रिसर्च स्कॉलरों की संख्या 1338 से बढ़कर 2271 हो गई है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफ-ओबीसी) योजना के तहत बढ़ी हुई दरों और रिसर्च स्कॉलरों की संख्या में वृद्धि के कारण, चालू वित्त वर्ष 2024-25 में आवंटित 55 करोड़ रुपये में से 54.50 करोड़ रुपये चयनित रिसर्च स्कॉलरों को वितरित कर दिए गए हैं, जिससे रिसर्च स्कॉलरों को जून 2024 तक दी जाने वाली फेलोशिप प्राप्त हो गई है। इस योजना के वित्तीय परिव्यय को बढ़ाने के लिए इस विभाग ने व्यय विभाग से अतिरिक्त आवंटन की मांग की है।

*****